क्रमांक-60

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 27 जून, 2017 (आषाढ़ 6, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.28-बमोरी से निर्वाचित सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, जिला-गुना (मध्यप्रदेश) की ओर से माननीय अध्यक्ष, महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 14.06.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 23.06.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

‘’ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151जा.फौ. के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.

तद्नुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया को दिनांक 13.06.2017 को 16.00 बजे बंदी कर लिया गया है और उन्हें उसी दिन 16.30 बजे रिहा कर दिया गया है. ’’

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.